राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पिंकी बनाम बन्नालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो।	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2023 पारित करते हुये उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद व प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण विभाजन का है एवं कानूनन विभाजन के वाद में सहखातेदारान को पक्षकार कायम कर उसके हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना होता है। चूँकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण नही है ऐसेमें धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थीगण यह अपील लेकर आये है। अत: सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया जाना उचित समझा जाता है। अत: प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि की खातेदार/काश्तकार नही है एवं आवासीय भू-खण्डको जरिये विक्रय पत्र क्रय करने की हैसियत से अपीलार्थीगण धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ यह अपील लेकर आई है। विधि के प्रावधानों के अनुसार विभाजन हेतु राजस्व न्यायालय में आवासीय प्लांट के क्रेता की हैसियत से अपीलार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा वह कानूनन विभाजन के प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नही माने जा सकते। ऐसेमें विभाजन के वाद में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पिंकी बनाम बन्नालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण भी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |